मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 03/11/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 03/11/2025 को प्रातः 10:30 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गईः-

(1) <u>भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की स्थितिः-</u>

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में अवगत कराया गया कि भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत कृषकों की सुविधा हेतु बनाये गए कॉल सेंटर्स से प्राप्त शिकायतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में कृषकों के प्रश्नों एवं शंकाओं के निवारण हेतु योजना की जानकारी प्रदाय की जाती है। दूसरे भाग में कृषकों से प्राप्त होने वाली शिकायतें होती है, जिनको स्थानांतरित कर एनआईसी के माध्यम से निराकृत कराया जा रहा है। प्राप्त होने वाली शिकायतें प्रायः कृषकों के पंजीयन के डाटा में होने वाली त्रुटियों में संशोधन कराने के संबंध में होती हैं जैसे- बैंक खाते की गलत जानकारी, कृषक का नाम, माता/पिता का नाम आदि में संशोधन। इन समस्याओं के निराकरण के संबंध में बताया गया कि एनआईसी/श्री वर्गीस जी से समन्वय किया गया है। कृषकों की जानकारी प्राप्त कर ईमेल किये जाकर संशोधन की कार्यवाही कराई जा रही हैं। उक्त त्रुटियों के संशोधन हेतु संभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कृषकों से अपडेटेड डाटा लेकर संशोधन हेतु उप संचालक(कृषि) से समन्वय करते हुए निराकरण कराया जा रहा है। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करते हुए

भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में कृषकों की भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की गई। समीक्षा में बताया गया कि सभी कृषि उपज मंडी समितियों में कृषकों की भीड़ हो रही है, जिसके लिए भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है।

(4) <u>कर अपवंचन की शिकायतें एवं कर अपवंचन के प्रकरणों की समीक्षा:-</u>

कर अपवंचन की बहुतायत में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों की जांच करते हुए समय-सीमा में में प्रकरण निराकृत करें। बिछिया में फर्जी ई-अनुज्ञा तैयार कर कृषि उपज वाहन पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा गया है। उक्त वाहन ग्वालियर संभाग से निकलकर जबलपुर संभाग में पकड़ा गया है, अर्थात नियमित रूप से मंडियों एवं संभागों द्वारा कृषि जिंसों के परिवहन की निगरानी नहीं की जा रही है। अतः ग्वालियर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि फर्जी अनुज्ञा तैयार करने वाले वाहन स्वामी पर एफआईआर करावें। सचिव, कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी की शिकायत संज्ञान में आई है। अतः ग्वालियर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आज ही प्रतिवेदन प्रेषित करें।

जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संभाग अंतर्गत बिजावर जिला छतरपुर के चार वाहन पकड़े गए हैं। अतः चारों वाहनों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित फर्मों के लायसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए गए। फर्जी नाम के अनुज्ञा वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। कार्यवाही कर प्रकरण का प्रतिवेदन आज ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कृषि उपज मूंगफली के बिना अनुज्ञा वाले वाहनों पर समझौता शुल्क लगाकर मुक्त किया जाता है। मात्र समझौता शुल्क लेकर वाहनों को मुक्त करने से कर अपवंचन वाले प्रकरण कम नहीं हो रहे हैं। अतः मूंगफली के बिना अनुज्ञा वाले वाहनों को मंडी अधिनियम की धारा 23(4) के तहत जब्त करने तथा न्यायलयीन कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

<u>(5) सी.एम. मॉनिट में दर्ज A+ और A प्रकरणों की समीक्षा:-</u>

सी.एम. मॉनिट में दर्ज A+ और A प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में बताया गया कि प्रकरणों में कार्यवाही की जाकर पोर्टल पर अद्यतन कराये गए हैं। शेष लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कराया जाकर पोर्टल पर अद्यतन कराने के निर्देश दिए गए।

उक्त दोनों प्रकरणों के निराकरण की स्थिति पोर्टल पर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए गए।

कृषकों के डाटा की त्रुटियों में अविलंब सुधार कराने हेतु निर्देशित किया गया। (एमआईएस/आईटी शाखा)

(2) <u>भावांतर भुगतान के लिए आरबीसी 6(4) की जानकारी समीक्षा:-</u>

भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत आरबीसी 6(4) की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रदेश के समस्त संभागीय अधिकारियों को नामांकित किया गया था। इसके अंतर्गत समस्त जिला कलेक्टर्स से 02 आशय के प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है। पहला जिसके अंतर्गत कोई एंट्री नहीं होना है एवं दूसरा जिसमें सभी एंट्री हो गई है, कोई भी एंट्री शेष नहीं है। उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने हेतु 24 अक्टूबर अंतिम समय-सीमा निर्धारित थी एवं नियत समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने से पुनः 31 अक्टूबर अंतिम समय-सीमा नियत की गई थी। समस्त संभागों की समीक्षा में पाया गया कि इंदौर संभाग अंतर्गत सभी एंट्री हो गई है। संभाग अंतर्गत इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खण्डवा, बड़वानी एवं खरगौन से प्रमाण पत्र लेना शेष है। उज्जैन संभाग अंतर्गत उज्जैन, मंदसौर, देवास, शाजापुर एवं आगर-मालवा से प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष हैं। भोपाल संभाग अंतर्गत भोपाल, रायसेन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, राजगढ़ एवं सीहोर से प्रमाण पत्र अप्राप्त है। सागर संभाग में एंट्रियां हो गई हैं, सिर्फ प्रमाण पत्र अप्राप्त हैं अतएव कमिश्नर कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आज ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा एवं पार्ढुना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, शेष आज ही प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। रीवा संभाग में अनूपपुर एवं ग्वालियर संभाग के प्रमाण पत्र आज ही प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त जिला कलेक्टर्स से आज ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सायं तक अवगत करावें।

(3) <u>कृषि उपज मंडी समितियों में तौल/भुगतान एवं कृषकों की भीड़ प्रबंधन की समीक्षा:-</u>

समीक्षा में बताया गया कि कृषि उपज मंडियों में तौल में गड़बड़ी के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति नागदा में संबंधित फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में तौल में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित फर्म पर कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त कृषकों के भुगतान समय-सीमा में हो। विलंब की स्थिति में संबंधित पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

उक्त दोनों प्रकरणों के निराकरण की स्थिति पोर्टल पर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए गए।

(6) <u>सी0एम0 हेल्पलाईन की समीक्षा:-</u>

प्रदेश की समस्त आंचलिक कार्यालयों में लंबित सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की गई। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही कर अविलंब निराकरण करावें।

मुख्यालय स्तर की समीक्षा में अवगत कराया गया कि एल-4 पर लगभग 80, एल-3 पर 350-400, एल-2 पर 300 एवं एल-1 पर 250 शिकायतें दर्ज हैं। अतः समस्त शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अविलंब प्रकरणों का निराकरण करावें।

<u>अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश:-</u>

- <u>मंडी समितियों में शेड में अतिक्रमण</u>:- समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मंडी समितियों में व्यापारियों के द्वारा शेड में किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्यवाही करें।
- समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी समय-सीमा बैठक के पूर्व समस्त शिकायतों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत समस्त फील्ड के अधिकारियों को एक्टिव होना होगा क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के भाव कम है। नियम विरूद्ध कार्य कार्य करने वाले व्यापारियों पर कार्यवाही करें। समस्त संभागीय अधिकारी अलर्ट पर रहें, मंडी के फील्ड के कर्मचारियों को सहयोग करते हुए कार्य करावें।
- कंट्रोल रूम के संचालन की समीक्षा की गई। जिसमें समस्त संभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी कंट्रोम रूम क्रियाशील हैं।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरण वार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/नवंबर/2025/2325 भोपाल, दिनांक 10 /11/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय,भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
7. कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (समन्वय)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल